रामप्रसाद विरूद्ध देवीदीन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2601-दो / 14 जिला – सतना

तथा	कर्यवाही तथा आदे	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.8.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवेदक को स्थगन न दिए जाने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध पेश किया गया है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन के पर्याप्त तथ्य परिलक्षित न होने के आधार पर स्थगन अमान्य किया गया है । स्थगन देना या न देना अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है । इस प्रकरण में आवेदक की ओर से ऐसा कोई ठोस आधार या तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके आधार पर उसको स्थगन दिया जा सके । दर्शित स्थिति में यह निगरानी अग्राहृय की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र.,ग्वालियर	

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R2601-II/14

305/16.6.14

राम प्रसाद तनय स्व0 रामनाथ मिश्रा आयु 78 साल, पेशा पेन्सनर, एवं खेती, निवासीग्राम थिरहाई, तहसील रामनगर , जिला -सतना म0प्र0 ------ आवेदक / निगरानी कर्ता

बनाम

देवीदीन तनय ~~[illegible]~~ त्रिलोकीनाथ मिश्रा निवासी ग्राम थिरहाई, तहसील रामनगर ,जिलासतना म0प्र --- अनावेदक/

-- गैर निगरानीकर्ता